ऐक्टिविस्टों को कोर्ट की फटकार

मेट्रो तीन की राह में आने वाले पेड़ काटने का मामला

■ रिपोर्टर-प्रेट्र, मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोलाबा-सीप्ज मेट्रो तीन को बनाने के बीच आ रहे हजारों पेड़-पौधों को काटने के विरोध में आए ऐक्टिविस्टों को लताड़ते हुए कहा है कि उन्हें वास्तविकता को देखते हुए व्यावहारिक रुख अख्तियार करना चाहिए। गौरतलब है कि इस मेट्रो के बनने से करीब 5000 पेड़-पौधों पर आरी चल सकती है।

न्यायाधीश वीएम कानाडे और न्यायाधीश एएम बदर ने यह लताड़ मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि द्वारा बान्दरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए 108 मेंग्रोव्ज को काटने के लिए मंजूरी मांगने के लिए दायर याचिका की सुनवाई पर पिलाई। इस मंजूरी की जरूरत इसलिए हुई, क्योंकि कोर्ट ने कह रखा है कि मेंग्रोव्ज के बारे में कोई भी कदम उठाने के लिए मेट्रो प्रबंधन को कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। गौरतलब है कि बॉम्बे एनवायरमेंटल ऐक्शन ग्रुप ने एक जनहित याचिका दायर करके इस मेट्रो को बनाने के बीच में आ रहे पेड़-पौधों के काटने पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायाधीश कानाडे ने कहा कि 'हमें मेट्रो चाहिए क्योंकि शहर की ट्रैफकि व्यवस्था बहुत ही शोचनीय हो गई है। इस मामले में हमें व्यावहारिक रुख लेकर चलना होगा'।

कोर्ट को गुरुवार को मुंबई मेट्रो के वकील किरण बागलिया ने कहा कि उनके मुवक्किल ने मेट्रो के बनने से कट रहे पेड़-पौधों को बचाने और उनकी जगह नए पेड़-पौधे लगाने का पक्का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की मंजूरियां न मिलने के कारण मेट्रो बनाने के लिए जापान से लिया गया लोन दिन-प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक्टिविस्टों और चर्चगेट-कोलाबा के नागरिकों को नकारात्मक रुख अपनाने की जरुरत नहीं है और उन्हें पूरे मुंबई की स्थिति को देखना चाहिए। अब इस बारे में 24 जून को सुनवाई होगी।